न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

म पीठासीन अधिकारी – श्री श्रवणसिंह राठौड आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या – 42/2023 राजस्व वाद

दायर दिनांक – 06.12.2023
फैसल दिनांक – 27-12-2023

अनवान

1. कमल पिता शिवनाथ जाति ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी जेठाणा तह. सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
2. कोशल्या पुत्री शिवनाथ जाति ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी जेठाणा तह. सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
3. गीताबाई पत्नी स्व. शिवनाथ जाति ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी जेठाणा तह. सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
4. जगदीश पुत्र शिवनाथ जाति ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी जेठाणा तह. सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
5. पुरूषोत्तम पुत्र शिवनाथ जाति ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी जेठाणा तह. सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

(प्रार्थीगण)

बनाम

श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय सागवाडा जिला डूंगरपुर राज.

(अप्रार्थी)

वकील वादीगण –
वकील प्रतिवादी – राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र बाबत् इन्द्राज दुरस्त करने अन्तर्गत
धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के आधिपत्य व खातेदारी भूमि मौजा जेठाणा पटवार हल्का जेठाणा में जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता संख्या 844/807 के खसरा नंबर क्रमशः 8921 एवं 8931 हैं। जिसका रकबा क्रमशः 0.04 बीघा एवं 3.05 बीघा भूमि हैं।

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि मौजा जेठाणा पटवार हल्का जेठाणा में जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता संख्या 844/807 के खसरा नंबर

Scanned with OKEN Scanner

क्रमशः 8921 एवं 8931 हैं। जिसका रकबा क्रमशः 0.04 बीघा एवं 3.05 बीघा भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार काबीज है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बर का नक्शा ट्रैस एवं जमाबंदी की नकल पटवारी हल्का से लेने पर बताया कि प्रार्थीगण के हिस्से प्राप्त उक्त खसरा नंबर 8921 रकबा 0.04 बीघा भूमि के अनुसार जमीन नही होकर कम भाग नक्षे में इन्द्राज है परन्तु 8931 रकबा 3.05 बीघा भूमि के अनुसार जमीन से ज्यादा भाग नक्षे मे इन्द्राज है जो तत्कालीन राजस्व अधिकारियों की भूल से अदला बदली हो गई हैं।

यह कि वादीगण के द्वारा नक्षा ट्रैस लठ्ठा में से खसरा नंबर 8921 एवं 8931 त्रुटीवश राजस्व रेकार्ड के नक्शे लट्ठा पर पेमुदगी की अदला बदली हो गई हैं जो कि तत्कालीन राजस्व कार्मिकों/अमिन की गलती से छुट गया हैं तथा प्रार्थीगण पिछले दस वर्षो से पटवार मंडल जेठाणा को आवेदन कर चुके हैं फिर भी अब तक शुद्धिकरण नहीं हो रहा हैं। प्रतिवादी ने नक्षे ट्रैस में रेकार्ड के अनुसार इन्द्राज करने में कानूनन अडचन बताकर सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने के लिए कहने पर दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा वाद के अन्त में मौजा गांव जेठाणा पटवार हल्का जेठाणा तहसील सागवाडा जमाबन्दई संवत 2074–77 के खाता संख्या 844/807 के खसरा नंबर क्रमशः 8921 एवं 8931 रकबा क्रमश 0.04 बीघा भूमि एवं 3.05 बीघा भूमि का भाग नक्षा ट्रैस लट्टा में सही पैमुदगी करने का आदेश हेतु निवेदन किया गया है।

प्रार्थीगण खातेदारी भूमि मौजा जेठाणा पटवार हल्का जेठाणा में जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता संख्या 844/807 के खसरा नंबर क्रमशः 8921 एवं 8931 हैं। जिसका रकबा क्रमशः 0.04 बीघा एवं 3.05 बीघा भूमि पर संयुक्त खातेदार होकर प्रार्थीगण का हिस्सा 1/5 हैं।

प्रार्थीगण खातेदारी भूमि मौजा जेठाणा पटवार हल्का जेठाणा में जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता संख्या 844/807 के खसरा नंबर क्रमशः 8921 एवं 8931 हैं। जिसका रकबा क्रमशः 0.04 बीघा एवं 3.05 बीघा भूमि के खसरा नंबर की पैमुदगी की आपस में अदल बदल करना एवं राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्धि कर दर्ज रिकार्ड किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

वादी द्वारा वाद पत्र. के साथ वाद पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए असल जमाबन्दी व नक्षा ट्रैस प्रस्तुत किए गए है।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी की ओर से राज पैरोकार द्वारा वक्त सुनवाई उपस्थित होकर जवाब मय पर्चा मौका एवं नक्षे के जरिये प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत कार्यालय से जवाब प्रस्तुत करने हेतु पत्रांक राजस्व/2023/743 दिनांक 06.12.2023 द्वारा लिखा गया। जिस पर प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा ने पत्रांक राजस्व/2023/898 दिनांक 21.12.2023 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

हमनें पत्रावली तथा प्रतिवादी भूमिधारी के जवाब के साथ प्रस्तुत स्तावेजों का अवलोकन किया।

मौजा जेठाणा पटवार हल्का जेठाणा में जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता संख्या 844/807 के खसरा नंबर क्रमशः 8921 एवं 8931 हैं। जिसका रकबा क्रमशः 0.04 बीघा एवं 3.05 बीघा भूमि हैं। जो राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी एवं मौके से भिन्न रूप में पैमुद है। प्रतिवादी की ओर से उक्त आशय की वर्तमान स्थिति एवं प्रस्तावित स्थिति का नक्षा ट्रेस संलग्न कर प्रस्तुत किया है। इस प्रस्तावित स्थिति के अनुरूप पैमुदगी के लिए वादीगण भी सहमत है।

मौजा जेठाणा पटवार हल्का जेठाणा में जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता संख्या 844/807 के खसरा नंबर क्रमशः 8921 एवं 8931 हैं। जिसका रकबा क्रमशः 0.04 बीघा एवं 3.05 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड के नक्शे लट्ठे में रकबे के अनुसार पेमुदगी भिन्न–भिन्न प्रदर्शित हो रही हैं।

सेटलमेंट से पूर्व संवत 2029 में खसरा नम्बर 6791 मी. रकबा 0.04 बीघा भूमि, 6791 मी. रकबा 3.00 बीघा भूमि एवं 6801 मी. रकबा 0.05 बीघा भूमि था। बाद सेटलमेंट उक्त खसरा नम्बरान से खसरा नम्बर 8921 रकबा 0.04 बीघा मि और 8931 रकबा 3.05 बीघा भूमि रेकार्ड में इन्द्राज हो गई हैं। आपस में दोनों सरा नम्बरों की पैमुदगी मानवीय भूल से गलत दर्ज हो गई हैं।

अतः वाद वादी स्वीकार एंव डिक्री किया जाकर भूमिधारी द्वारा जवाब साथ प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शे के अनुसार राजस्व रेकार्ड में सही पैमुदगी किये तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है । प्रस्तावित नक्शा निर्णय एंव का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 27/12/23 को खुले न्यायालय में सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम हो।

27/12/23

(श्रवणसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner